तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 326/2022 बअनवान माधुसिंह बनाम कानसिंह के कायम मुकाम सवाई सिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 23.12.2024

उपस्थिति

1. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 38
3. **रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 309/2022 अनवान कानसिंह के कायम मुकाम बनाम राजूसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थी विवादित भूमि खसरा नं. 1175 रकबा 11.5902 हैक्टेयर, खसरा नं. 1178 रकबा 2.624 हैक्टेयर, खसरा नं. 849 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा नं. 850 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नं. 851/1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर ग्राम मीनों की ढाणी, तहसील तिंवरी का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा वक्त सेटलमेंट से पूर्व से ही अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के मध्य मौके पर आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 326/2022 बअनवान माधुसिंह बनाम कानसिंह के कायम मुकाम सवाई सिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर अलग-अलग कणे-माठ कायम किये हुए है। सभी अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या एक वादग्रस्त आराजीयात में अजनबी खरीददार है जो वादग्रस्त आराजी में 2/45 हिस्सा खरीद किया है। हस्तगत मामले में विवाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य है। अपीलांट का उससे कोई लेना-देना नहीं है। अपीलांट के नाम से विद्युत विभाग द्वारा कृषि कनेक्शन जारी किया जा चुका है तथा अपीलांट अपने कब्जे काश्त की खातेदार भूमि में ट्यूबवेल खुदवाना चाहता है जो अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से रूक गया है। अपीलांट्स रेकर्डेड खातदेार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को निरस्त किया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार काश्तकार है। वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे की प्रमाणित प्रति के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या एक जो अजनबी क्रेता है, के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार होने तथा उसे अपने हक-हिस्से की कृषि भूमि के विकास एवं भूमि सुधार का प्रथमदृष्टया अधिकार प्राप्त होने से अदालत हाजा द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 326/2022 बअनवान माधुसिंह बनाम कानसिंह के कायम मुकाम सवाई सिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश दिनांक 20 दिसंबर 2022 के जरिये अपीलांट को कृषि विकास कार्य हेतु अपने हक-हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल खुदवाने एवं कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधियिम का विचारण न्यायालय में अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा अपीलांट वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से अब उसे अपीलाधीन से आदेश से पाबंद करते हुए मामला अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर